भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 323
20 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए उपनियम

323 श्री बी लिंग्याह यादवः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को नियंत्रित करने के लिए मॉडल उपनियम बनाने और सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने के लिए तैयार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सहकारिता नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है और नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने, सहकारी समितियों के बीच सहयोग और सदस्यता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क), (ख) और (ग): जी हां, मान्यवर । प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय जीवंत व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारिता संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से प्रारूप मॉडल उप-नियम तैयार किए जा रहे हैं । उनके प्रचालन में पेशेवरता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इन प्रारूप मॉडल उप-नियमों में विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं । यह उल्लेख किया जाता है कि पैक्स का पंजीकरण और प्रशासन संबंधित राज्य सहकारिता कानूनों के अधीन होता है ।

सरकार सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक नई नीति भी तैयार कर रही है और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता सचिवों/रजिस्ट्रार सहकारी समिति के साथ नई सहकारी नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 12 और 13 अप्रैल, 2022 को किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिक अवसंरचना; विनियामक, नीति व प्रचालन अवरोधों की पहचान; सुगम व्यवपार; शासन सुदृढ़ीकरण हेतु सुधार; नए और सामाजिक सहकारिताओं का संवर्धन; निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित करने; सहकारी समितियों को जीवंत आर्थिक इकाई बनाने; सहकारी समितियों के बीच सहयोग एवं सहकारी समितियों के सदस्यों में बढ़ोत्तरी करने पर विचार-विमर्श किया गया ।

इसके साथ ही 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण की एक केन्द्र प्रायोजित परियोजना की भी शुरुआत की गई है ताकि उन्हें अपने डिजिटलीकरण में और अपने व्यवसायों को शुरू से अंत तक स्वचलीकरण में और भी अधिक सहायता मिल सके । इससे पारदर्शिता आएगी और पैक्स के कामकाज में विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा इससे उन्हें ब्याज अनुदान योजनाओं (आईएसएस), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की विभिन्न सेवाओं और खाद, बीज, आदि जैसे इनपुट प्रदान करने वाली एक केन्द्रीय सेवा प्रदाता केन्द्र बनने में भी मदद मिलेगी । पैक्स द्वारा इस अखिल भारतीय आईटी परियोजना और विधिक सुधार अपनाए जाने के माध्यम से पैक्स को एक जीवंत बहुउद्देशीय व्यावसायिक इकाई बनने के लिए सक्षम वातावरण का सृजन होगा ।

*****